

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-९/आ०-०६-०९/२०२४(स्वा०) / पटना, दिनांक:-.....

डॉ० कुमार मयंक (कोटि क्रमांक-5888/2025), विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), सदर अस्पताल, बांका दिनांक-20.05.2021 से 01.10.2021 तक कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-1618(9) दिनांक-06.11.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. डॉ० मयंक द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष सिविल सर्जन, बांका के पत्रांक-510 दिनांक-29.02.2024 को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन में डॉ० मयंक स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक-20.05.2021 से 27.05.2021 तक कर्तव्य पर अनुपस्थित रहे थे। इस अवधि को आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया था। डॉ० मयंक दिनांक-28.05.2021 से 01.10.2021 तक अपने पदस्थापित स्थान पर कार्यरत थे। संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ० मयंक के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप का प्रमाणित नहीं होने के मंतव्य दिया गया है।

3. सिविल सर्जन, बांका के पत्रांक-189 दिनांक-20.01.2023 एवं पत्रांक-510 दिनांक-29.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित तथ्य आपस में विरोधाभासी होने के कारण विभागीय पत्रांक-765(9) दिनांक 30.08.2024 द्वारा डॉ० मयंक के दिनांक-20.05.2021 से 01.10.2021 तक किए गए कार्य से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तदालोक में सिविल सर्जन, बांका के पत्रांक-2531 दिनांक-21.07.2026 द्वारा अपने कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-510 दिनांक-29.02.2024 को सत्यापित किया गया है। उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बांका के पत्रांक-71 दिनांक-17.02.2024 द्वारा डॉ० मयंक के दिनांक-28.05.2021 से 01.10.2021 तक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित उपस्थित पंजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० मयंक के अस्वस्थता के कारण दिनांक-20.05.2021 से 27.05.2021 की अवधि को आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए दिनांक-28.05.2021 से 01.10.2021 की अवधि को सिविल सर्जन, बांका द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि के फलस्वरूप डॉ० कुमार मयंक, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), सदर अस्पताल, बांका के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1618(9) दिनांक-06.11.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०६-०९/२०२४(स्वा०) 1357(9A) /पटना, दिनांक:-23.09.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०); बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

23/09/2026

15

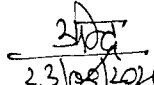
ज्ञापांक:-9/आ0-06-09/2024(स्वा0) ...1357(9A)/पटना, दिनांक:- 23.09.26

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/सिविल सर्जन, बांका/कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डॉ० कुमार मंयक, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), सदर अस्पताल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/09/2024
सरकार के अवर सचिव।